राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भग्गूराम बनाम पप्पू 733/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा न. 769 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली में स्थित है। जिसके हाल ख. न. 1332 वाकै मौजा बुचारा है। उपरोक्त आराजी जिसके खातेदार काश्तकार वादी है एवं बुजुर्गान के समय से ही उपरोक्त आराजी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। आराजी साबिक खसरा न. 769 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली से बने हाल खसरा न. 1332/0.51 वाकै मौजा बुचारा का सम्पूर्ण रकबा व 1330/0.30, 1331/0.31, में 0.39 है. रकबा समायोजित हुआ है। आराजी साबिक ख. न. 1025 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का कुल रकबा 1.63 है. से बने हाल ख. न. 1365/0.48, 1365/0.89, 1363/0.07, 1329/0.20, में 1.57 है. रकबा समायोजित हो चुका तथा महज 0.06 है. रकबा आराजी हाल ख. न. 1330,1331 में समायोजित हुआ है। आराजी साबिक ख. न. 769 वाकै मौजा बुचारा से बने हाल ख. न. 1330, 1331 वाकै मौजा बुचारा के राजस्व रिकार्ड में 0.39 है. मे वादी का नाम दर्ज न कर अकेले आराजी ख. न. 1025 के पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व उनके बुजुर्गान का नाम दर्ज कर दिया। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी में रिकार्ड दुरूस्ती हेतु पूर्व में वाद प्रस्तुत किया जिसको आराजी हाल ख. न. 1330, 1331 वाकै मौजा बुचारा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार रामदेही पत्नि मूला से मुताबिक राजीनामा 0.19 है. में रामदेही के स्थान पर वादी का नाम दुरूस्त कर दिया। वादी ने अनेको बार राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भग्गूराम बनाम पप्पू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
733/2025		

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड म दुरूस्ती कराने हेतु कहा परन्तु उन्होंने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादी को हक हो गया है कि वह जरिये आराजी हाल ख. न. 1330/0.30, 1331/0.31 वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम व उनके बुजुर्गान का नाम हटाया जाकर वादी का नाम 0.19 है. भूमि मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात का नाजायद फायदा उठाते हुए उपरोक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने व वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है वादी ने बहुत समझाया परन्तु वे नही मान रहे है इसलिए वादी को हक हो गया है कि वह जरिये अदालत आराजी हाल ख. न. 1330/0.30, 1331/0.31 वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली में वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे एवं दौराने वाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान न करे मौक व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वाद कारण बताओ आराजी मुतदाविया मे गलत इन्दाजात होने व प्रतिवादीगण द्वारा रिकार्ड दुरूस्त कराने से इंकार करने व भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा हुआ। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि आराजी हाल ख. न. 1330/0.30, 1331/0.31, वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम व उनके बुजुर्गान का नाम हटाया जाकर वादी का नाम 0.19 है. भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे आराजी हाल ख. न. 1330/0.30, 1331/0.31, वाकै मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली में वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे एवं दौरानेवाद किसी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान न करे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य जो दादरसी माननीय न्यायालय वादीगण के हक मे उचित समझे प्रदार कि जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20/10/2022 पारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भग्गूराम बनाम पप्पू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
733/2024		

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुए सही रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी वाद के माध्यम से चाहा गया अनुतोष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20/10/2022 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर